बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

संख्या–8 / आ०5–50 / 2022... / पटना, दिनांक............................

श्री कृष्णदेव महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर, समस्तीपुर –सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि के दौरान की गई अनियमितता के लिए विभिन्न आरोप प्राप्त हुए। जिसमें विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत प्रधानाध्यापकों से मिली भगत कर 08 फर्जी BPSC शिक्षकों का योगदान कराये जाने संबंधी जैसे गंभीर प्रकृति के आरोप शामिल हैं। श्री महतो के विरूद्ध प्राप्त आरोपों को समेकित कर आरोप पत्र गठित किया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1107 दिनांक 12.12.2024 द्वारा श्री महतो को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विधिवत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री महतो के गठित आरोप के आलोक में नियमानुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1112 दिनांक 27.12.2024 द्वारा उनसे लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री महतो द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। बचाव अभिकथन के स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 188 दिनांक 20.02.2025 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं उपस्थापन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), समस्तीपुर को नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 151 दिनांक 10.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए श्री महतो से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 23 दिनांक 07.01.2026 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। जिसके अनुपालन में श्री महतो द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. श्री कृष्णदेव महतो के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री महतो द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा निम्नवत् रूप से की जा रही है :–

(i) आरोप संख्या–01–आरोपी पदाधिकारी श्री कृष्णदेव महतो के द्वारा विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत प्रधानाध्यापक से मिलीभगत कर 08 फर्जी BPSC शिक्षकों का योगदान कराने के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि आरोपी पदाधिकारी, श्री कृष्ण देव महतो द्वारा गठित आरोपो के संदर्भ में दिये गये अभिकथन के अनुसार विभाग द्वारा निर्गत नियमावली / दिशा–निर्देश के अनुसार बी०पी०एस०सी० द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक / अभ्यर्थी को जिला कार्यालय से निर्गत नियुक्ति पत्र, योगदान प्रपत्र के साथ पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के समक्ष योगदान के लिए उपस्थित होना था। तदोपरांत

प्रधानाध्यापक को चयनित सूची से मिलान कर उन्हें विद्यालय में योगदान कराने के पश्चात् सत्यापन कराना था। फलस्वरूप 08 (आठ) फर्जी विद्यालय अध्यापक का विद्यालय में योगदान/सत्यापन की कार्रवाई उनके स्तर से नहीं की गई।

जाँच के क्रम में गायत्री कुमारी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रा०वि० धोबी टोल, बोरिया एवं माला कुमारी, प्रा०वि० आलमपुर, मुसहरी, प्रखंड विभूतिपुर द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर के कहने एवं दबाव बनाने पर उक्त फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी एवं ममता कुमारी का योगदान उनके द्वारा लिया गया। यथा प्रा०वि० तरूणीयाँ, प्रा०वि० नवटोलिया, उ०म०वि० कोदरिया, मध्य विद्यालय समरथा, प्रा०वि० कल्याणपुर विशनपुर, शिशबन्नी के प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय में योगदान करने वाले फर्जी शिक्षकों का अभिलेख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर को उपलब्ध कराया गया। प्रभारी प्रधानध्यापकों ने बताया कि सूचना दिये जाने के उपरांत भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर द्वारा उक्त फर्जी शिक्षकों के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जबकि कतिपय फर्जी शिक्षकों के थम्ब इम्प्रेशन में भी गये और वहाँ उपस्थित थे।

श्री महतो द्वारा फर्जी शिक्षकों को विद्यालय में योगदान कराने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर प्रधानाध्यापकों पर दबाव बनाया गया तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षकों का योगदान से संबंधित उपलब्ध कराये गये, अभिलेख की जाँच एवं 08 फर्जी शिक्षकों से संबंधित प्राप्त परिवाद में अंकित शिक्षकों का नाम निदेशालय से प्राप्त सूची से मिलान कर मामला को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर द्वारा उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त फर्जी शिक्षकों का योगदान आरोपी के निदेश एवं प्रभाव में कराया गया। योगदान के पश्चात आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि यह मामला मात्र प्रशासनिक त्रुटि का नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता एवं कदाचार का है। यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है।

(ii) आरोप सं० 2–आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मंजू कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय धोबीटोल, बोरिया की प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिक विद्यालय, बरकुड़वा, मुरियास्थान, विभूतिपुर में किये जाने का आदेश निर्गत किया गया, जबकि ये शिक्षिका उक्त विद्यालय में पदस्थापित ही नहीं थी, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मंजू कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० धोबीटोल, बोरिया का प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश को फर्जी बताया गया है। जबकि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर के पत्रांक–410 दिनांक–08.04.2024 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिक विद्यालय बरकुड़वा, मुरिया स्थान, विभूतिपुर में प्रतिनियुक्त किया गया। जबकि मंजु कुमारी, शिक्षिका के पद पर पदस्थापित ही नहीं थी। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं करने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

(iii) आरोप सं० 3–कथित शिक्षक राजीव कुमार की नियुक्ति पत्र के सत्यापन हेतु श्रीमती विभा कुमारी, प्रधानाध्यापिका, उ०म०वि०, पोदरिया, विभूतिपुर के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कोई अग्रेतर

1

कार्रवाई नहीं की गयी, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रधानाध्यापक, उ०म०वि०, कोदरिया के पत्रांक 28 दिनांक 21.03.2024 एवं पत्रांक 55 दिनांक 09.08.2024 जो कि कथित शिक्षक राजीव कुमार की नियुक्ति पत्र के सत्यापन से संबंधित है, उक्त पत्र को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर कार्यालय में हस्तगत कराया गया। आरोपी पदाधिकारी का यह दायित्व था कि ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे। किन्तु आरोपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे उनकी संलिप्तता परिलक्षित होता है। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

(iv) आरोप सं० 4–आरोपी पदाधिकारी श्री कृष्णदेव महतो द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी कथित शिक्षिका को प्राथमिक विद्यालय, धोबीटोल बोरिया, प्रखंड–विभूतिपुर में फर्जी तरीके से योगदान कराने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्रीमती गायत्री कुमारी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका, प्रा०वि० धोबीटोल, बोरिया ने लिखित रूप से प्रतिवेदित किया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी के मोबाईल से दबाव बनाने पर श्रीमती कुमारी का योगदान ली तथा पुनः प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर के पत्रांक–260 दिनांक–30.03.2024 में अंकित है कि श्रीमती रंजना कुमारी का बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई०–1 में चयन हुआ था। इनका तबियत खराब हो जाने के कारण विद्यालय लेट से योगदान दिये। इनका प्रखंड–विभूतिपुर से प्रा०वि० धोबीटोल में हुआ है, का उपस्थिति पूर्व से बनाने का निदेश दिया गया है। उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि योगदान आरोपी पदाधिकारी के दबाव में कराया गया। यह प्रशासनिक शक्ति के दुरूपयोग को दर्शाता है। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

(v) आरोप सं० 05– श्रीमती सोमी कुमारी, पंचायत शिक्षिका के नियोजन रद्द होने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी के द्वारा पुनः योगदान कराने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर का ज्ञापांक 377 दिनांक 22.05.2023 के आलोक में श्रीमती सोमी कुमारी द्वारा विद्यालय में दिनांक 26.05.2023 को पुनः योगदान किया गया। इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि जिला अपीलीय प्राधिकार, समस्तीपुर के वाद संख्या–82/2023 में न्याय निर्णय ज्ञापांक 54 दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में किया गया है, जो विद्यालय आदेश के अधीन है यह स्वीकारयोग्य नहीं है। क्योंकि पंचायत नियोजन इकाई द्वारा श्रीमती सोमी कुमारी का नियोजन वर्ष 2015 में ही रद्द कर दी गई थी तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से श्रीमती सोमी कुमारी को योगदान दिनांक 22.05.2023 को ही कराया गया है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी का बचाव पक्ष तथ्य परक नहीं है। यह आरोप प्रमाणित है।

(vi) आरोप सं० 06–आरोपी पदाधिकारी श्री कृष्णदेव महतो के कार्यकाल में विभूतिपुर प्रखंड के 40 (चालीस) प्रखंड प्रेरक/समन्वयकों के लंबित वेतन भुगतान हेतु वांछित अभिलेख जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता को ससमय उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता समस्तीपुर के पत्रांक–41 दिनांक–21.01.2022 के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर के पत्रांक–170 दिनांक–16.03.2022 द्वारा उनके कार्यकाल में 40 प्रखंड प्रेरक/समन्वयक के लंबित वेतन भुगतान हेतु विपत्र जिला को उपलब्ध कराया गया। परन्तु

विपत्र के साथ पूर्ण अभिलेख नहीं रहने के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता समस्तीपुर के पत्रांक–361 दिनांक–09.05.2022 एवं पत्रांक–442 दिनांक–31.05.2022 द्वारा पूर्ण अभिलेख एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप समन्वयकों/प्रेरकों का भुगतान लंबित रहा। यह घोर अनुशासनहीनता एवं धृष्ठता को दर्शाता है। उपलब्ध अभिलेख के आधार पर यह आरोप प्रमाणित होता है।

(vii) आरोप सं० 07– आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा द्वारा परिवाद सं०–519410128042206054 में दिनांक–28.04.2022 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा द्वारा भी समन्वयकों/प्रेरकों का वेतन भुगतान नहीं होने के लिए आरोपी पदाधिकारी को दोषी माना है। इस संबंध में आरोपी द्वारा ऐसा कोई तथ्य परक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे की इस आरोप को खंडित किया जा सके। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

(viii) आरोप सं० 8– श्री कृष्णदेव महतो के द्वारा नियम के विरूद्ध प्रखंडाधीन विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का अन्यत्र विद्यालय एवं प्रखंड संसाधन केन्द्र, विभूतिपुर में प्रतिनियुक्त किया गया, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि विभागीय नियमानुसार एक शिक्षकीय विद्यालय, आपदा एवं निर्वाचन कार्य को छोड़कर किसी परिस्थिति में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है,। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापांक–147 दिनांक–22.02.2024 तथा ज्ञापांक–465 दिनांक–16.05.2024 द्वारा नियम के प्रतिकूल शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया, जो इनकी गलत मंशा की ओर इशारा करता है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में ठोस पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी पदोधिकारी द्वारा विभागीय आदेश का उल्लंघन कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

(ix) आरोप सं० 09– उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर के पत्रांक–1848, दिनांक 07.06.2024 के द्वारा प्रखंडाधीन सभी विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु दिए गए निदेश के बावजूद सभी विद्यालयों का ससमय निरीक्षण नहीं किया गया, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री महतो द्वारा निरीक्षण संबंधी सभी सुसंगत अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोपी के द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई ठोस पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि आरोप को खंडित किया जा सके। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

(x) आरोप सं० 10– श्री कृष्णदेव महतो द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम–2015 के तहत अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा के यहाँ दायर परिवाद की अनन्य संख्या–9999901240323372580 एवं 9999901240323372581 के निवारण में अभिरूचि नहीं लिया गया, के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री महतो द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इस संबंध में आरोपी के द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह सिद्ध हो कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष

दायर परिवाद में उनके द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर निस्तारण का प्रयास किया गया हो। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

8. उपर्युक्त की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित (आरोप सं0–02 को छोड़कर) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाये गये हैं। प्रस्तुत मामला आरोपी का सामान्य प्रशासनिक त्रुटि का नहीं है, बल्कि यह निरंतर कर्तव्यहीनता, पद का दुरूपयोग तथा विभागीय आदेश की अवहेलना है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में उनसे यह अपेक्षित था कि वे विभागीय आदेशों, संगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन पूरी निष्ठा से करे। किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आरोपी पदाधिकारी का समग्र आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो सरकारी सेवक से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल है।

9. अतः समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, जाँच प्रतिवेदन, आरोपी का लिखित अभ्यावेदन एवं विधिक प्रावधानों के समेकित परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री कृष्णदेव महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर, समस्तीपुर– सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत "40% (चालीस प्रतिशत) पेंशन कटौती" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

10. इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–8/आ०5–50/2022 ......–453 पटना, दिनांक......06.04.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री कृष्णदेव महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर, समस्तीपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, आवासीय पता–ग्रा०–माधोपुर, पो०–चन्द्रहरी, थाना–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)